

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सुरखदेवसिंह बनाम 2-22 सुल्तान रास्ता
किस्म मुकदमा ... 251/12/18 नम्बर 12 सन् 2018

तामिल हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

17/5/2018

सुरखदेवसिंह

माफी सुरखदेव सिंह 8/6 चौटू सिंह के द्वारा प्राथमिक पत्र पर कर विवेदन किया कि वह अपने पक 40 जीपी के मू.न. 112 के किला न. 11 के पश्चिम दिशा में 1 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जिसके आदेश दिए जाये प्रस्तुत प्राथमिक पत्र पर तहसीलदार श्री करणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पक 40 जीपी की चालू जमाबन्दी की खाता स. 60 के मू.न. 112 के किला न. 1, 2, 9, 10, 11 में 1.199 है. नकरी भूमि सुरखदेव सिंह के नाम खोतेदार वर्ज है। माफी इस मू.न. 112 के किला न. 11 के पश्चिम दिशा में 0.013 है गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है नौका पर रास्ता चल रहा है कोई विवाद हुआ सम्भव नहीं है माफी इस रास्ते के बदले कोई प्रतिफल नहीं लेना चाहता रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। प्रस्तुत प्राथमिक पत्र पर माफी को सुना गया प्रस्तुत राजीनामा एवं रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार माफी के प्राथमिक पत्र स्वीकार किया जाकर पक 40 जीपी की चालू जमाबन्दी की खाता स. 60 के मू.न. 112 के किला न. 11 के पश्चिम दिशा में 1 बिस्वा अर्थात् 0.013 है गैर मुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे इस रास्ता के भूमि के बदले कोई प्रतिफल देय नहीं होगा आदेश इस आशय का तहसीलदार श्री करणपुर के नाम जारी हो पत्रावली निगमित होकर नम्बर से कम हो।

सुरखदेवसिंह सुलीचना देवी

सुलीचना देवी
स. नं. 48 GG नं. 1
श्रीकरणपुर



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)